



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-22042026-271979
CG-KA-E-22042026-271979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1915]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2026/वैशाख 1, 1948

No. 1915]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2026/VAISAKHA 1, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हुबली, 21 अप्रैल, 2026

का.आ. 1986(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स, हुबली) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' और नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिलों से संबंधित स्तंभ (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजनाओं के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

सारणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बेंगलुरु सिटी जोलारपेट्टई - कामसमुद्रम और बिसनट्टम स्टेशन के बीच कि.मी. 273/100-200 पर लेवल क्रॉसिंग सं. 112 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल (आर.ओ.बी.) का निर्माण।	कोलार	सहायक आयुक्त, कोलार	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु

[फा. सं. एसडब्लूआर/डब्लू352/आरएसपी/भूमि/2026]

निंगप्पा चंदप्पा चलुवादि, उप मुख्य अभियंता/सड़क ऊपरी पुल सड़क सुरक्षा परियोजनाएं

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway)

NOTIFICATION

Hubballi, the 21st April, 2026

S.O. 1986(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Railways (Amendment) Act, 2008 the Ministry of Railway (South Western Railway, Road Safety Projects, Hubballi) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said Act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to districts mentioned in column (3) of the table below for Land Acquisition required for the public purpose.

TABLE

Sl No	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangalore city Jolarpettai - Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC No.112 at km 273/100-200 between Kamsamudram and Bisanattam station.	Kolar	Assistant Commissioner, Kolar	Regional Commissioner, Bangalore

[F. No. SWR/W352/RSP/Land/CALA/2026]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer/ Road Over Bridges Road Safety Projects